


# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनवादा।

संदिग्ध/जांच जमाबंदी सह अधिनियम 1950/2018-17

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं जांचों से संबंधित।

संबंधित।

दिनांक	आदेश कायमक	अभिप्रेक्षा
5/3/19	झारखंड सरकार के आदेश-2014/र30 दिनांक-13.06.2016	
<p>संबंधित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा10 ग0 निधि-119/85/2308/र30 दिनांक 03.09.1989 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/र30 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा-<u>कोमपुष्पानी</u> मौजा न0-<u>12</u> खाता न0 <u>142</u></p> <p>प्लॉट न0 <u>1308</u> रकबा <u>3.54</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>31</u> के पृष्ठ संख्या <u>6222</u> पर जमाबंदी रैयत <u>खरखती</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार प/अवेध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाम एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक <u>29/3/19</u> को रखे।</p>		
		<p> अंचल अधिकारी, धनवादा।</p>

29/3/19

अभिलेख उपस्थापित अचल उपस्थान नाव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 12/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

12/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 26/4/19 को रखे।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

23/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक  
23/6/20 को रखें।

अचल अधिकारी  
धनबाद।

29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा  
मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट  
नं० 1508 रकबा 3.54 भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत  
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० 162 (11) 16-12 के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अंचल अधिकारी धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।

अचल अधिकारी,  
धनबाद।

अचल अधिकारी,  
धनबाद।